

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या 54 / 2020

निर्णय दिनांक 15-7-20

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र लच्छू
2. श्योजीराम पुत्र लच्छू, निवासी ग्राम नांगललाड, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राजस्थान।

—प्रार्थी


बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटखावदा।

— अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद के करवाने बाबत।


प्रार्थी ग्राम नांगललाड तहसील कोटखावदा में खातेदार काश्तकार है जिनके आराजी खसरा नम्बर 225, 226, 227, 228, कुल किता 4 कुल रकबा 1. 13 है0 भूमि वाके ग्राम नांगललाड तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी उक्त खातेदार भूमि की पत्थर गढी करवाने हेतु निवेदन किया गया है, प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान पूर्व दिनांक 02.07.2020 को करवा लिया गया प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किये जाने पर गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब सरकार लिया गया जो संलग्न मिसल है वकील प्रार्थिया को सुना गया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 225, 226, 227, 228, कुल किता 4 कुल रकबा 1.13 है0 भूमि वाके ग्राम नांगललाड तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में स्थित है की भूमि पत्थरगढी अप्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तथा फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
(एस0डी0एम0) चाकसू